Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देने के आरोपियों रोबिन व अमित को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को हुआ 03 वर्ष का कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

अवगत कराना है कि अभियुक्तों 1.रोबिन पुत्र इन्द्रपाल व 2.अमित पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम व थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2021 में गाली-गलौच करने व जान से मारने की धमकी देने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0- 35/2021 धारा 504/506 भादवि पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 20.06.2025 को मा0 न्यायालय सी.जे.(जे.डी.) एफ.टी.सी. जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों रोबिन व अमित को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 03 वर्ष के कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

ए0पी0ओ0 श्रीमती बिमलेश कुमारी

का0 सुनील कुमार कोर्ट पैरोकार

विवेचक- उपनिरीक्षक श्री हरिशचन्द त्यागी

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police   baghpatpolice   @baghpatpolice

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा **दिनाँक 20.06.2025**

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 157/25 धारा 87/64 बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 157/25 धारा 87/64 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अपहृता को थाना खेकडा पुलिस द्वारा दिनांक 17-06-2025 को बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

असरू पुत्र जुम्मा निवासी फलैन्डी थाना पुल्हाना गुरूग्राम हरियाणा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री भूवनेश्वर कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।
2. है0का0 115 वीरपाल सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत।
3. का0 1093 सुमित कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 20.06.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान अवैध शराब तस्कर 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 20 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का तथा घटना में प्रयुक्त एक गाडी ब्रेजा बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 20 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का तथा घटना में प्रयुक्त 01 गाडी ब्रेजा रंग नं0 UP14FW2295 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-आकाश पुत्र श्यौराज निवासी ग्राम अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद।

2-रोबिन पुत्र राजेश निवासी ग्राम अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

- 20 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का ।
- गाडी ब्रेजा नं0 UP14FW2295 (घटना में प्रयुक्त) ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत ।
2-है0का0 435 आलोक थाना कोतवाली बागपत ।
3-है0का0 339 राकेश थाना कोतवाली बागपत ।
4-का0 44 संजीव थाना कोतवाली बागपत ।
5-का0 467 टिंकू थाना कोतवाली बागपत ।
6-का0 1130 सोनू थाना कोतवाली बागपत ।
7-का0 307 पवन थाना कोतवाली बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी   दिनाँक- 20.06.2025

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 81/25 धारा 64(1),352,351(2) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित एक अभियुक्त किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 81/25 धारा 64(1),352, 351(2) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट में वाँछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.अतुल उर्फ सन्नी पुत्र सुन्दरपाल निवासी ग्राम पुरामहादेव, थाना बालैनी जिला बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- प्र0नि0 शैलेन्द्र मुरारी दीक्षित थाना बालैनी जनपद बागपत।

2- उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत।

3- है0का0 657 अवधेश शर्मा थाना बालैनी जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना महिला थाना बागपत **दिनाँक 20.06.2025**

थाना महिला थाना बागपत पुलिस ने वारंटी 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना महिला थाना बागपत द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.सौमीन अहमद पुत्र शब्बीर निवासी चांद मस्जिद शफीपुर पट्टी कस्बा व थाना बुढाना जिला मुजफ्फरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनय कुमार महिला थाना बागपत ।

2-है0का0 227 शैलेष कुमार महिला थाना बागपत ।

3-म0का0 414 बरखा चौधरी महिला थाना बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला **दिनाँक 20.06.2025**

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 176/25 धारा 305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 70 पव्वे देशी शराब व एक मोटरसाईकिल फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.06.2025 को थाना रमाला पर वादी श्री रविन्द्र सिंह अहलावत पुत्र श्री सत्यपाल सिंह निवासी कण्डेरा जिला बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी के ठेके से 08 पेटी देशी शराब (सुनामी मार्का) चोरी कर ली है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 176/25 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 176/25 धारा 305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 70 पव्वे देशी शराब सुनामी मार्का तथा एक मो0सा0 स्प्लेण्डर फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोटः- बरामदगी फर्जी नम्बर प्लेट मो0सा0 के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 177/25 धारा 317(2)/345(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मनीष पुत्र जुम्मा निवासी ग्राम सूजती थाना दोघट जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किये हुए 70 पव्वे देशी शराब सुनामी मार्का।
- स्प्लेण्डर प्रो मो0सा0 फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सन्नी कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री मयंक प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।

3-है0का0 332 कमल किशोर थाना रमाला जनपद बागपत।

4-का0 583 अमी कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला दिनाँक 20.06.2025

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 175/25 धारा 305/324(4) बी.एन.एस. में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से मन्दिर से चोरी किये हुए 1600 रुपये नगद बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 19.06.25 को थाना रमाला पर वादी श्री रामगिर निवासी ग्राम बुढपुर थाना रमाला जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.तेजवीर पुत्र यशपाल व 2.गोवर्धन पुत्र हरपाल निवासीगण ग्राम बुढपुर थाना रमाला जनपद बागपत द्वारा बुढपुर शिव मंदिर से शीशा तोडकर 5100 रूपये की माला चोरी कर ली है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 175/25 धारा 305/324(4) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरो/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 175/25 धारा 305/324(4) बी.एन.एस. से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से मन्दिर से चोरी की गई रुपयों की माला से 1600 रूपये नगद बरामद हुए है। ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना रमाला पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट – बरामद चोरी के रूपयों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1-तेजवीर पुत्र यशपाल निवासी ग्राम बुढपुर थाना रमाला जनपद बागपत।

2- गोवर्धन पुत्र हरपाल निवासी ग्राम बुढपुर थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किये हुए 1600 रुपये नगद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 श्री केदार सिंह थाना रमाला जनपद बागपत

2-है0का0 819 दोसेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत

3-का0 907 धर्मेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत

उत्तर प्रदेश पुलिस

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 20.06.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमन्चा .315 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर ने चैंकिग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 222/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अनुरोध- बागपत पुलिस द्वारा अनुरोध किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलहे का प्रयोग न करे एवं लाईसेंसी हथियारो का प्रदर्शन ना किया जाये, यदि ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उनके विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.इब्राहिम पुत्र आश्स्तीक निवासी लुहारा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमन्चा .315 बोर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 042/25 धारा 305(a), 317(2), 324(4), 331(4) बीएनएस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2.मु0अ0स0 221/25 धारा 74/352/351(2)/333 बीएनएस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3.मु0अ0स0 222/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

4.मु0अ0स0 322/24 धारा 305बीएनएस थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

5. मु0अ0स0 1633/18 धारा 201, 302, 404 साहिबाबाद ट्रांस हिण्डन (कमिश्नरेट गाजियाबाद)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.म0उ0नि0 दीपिका यादव थाना सिंघावली अहीर बागपत।

2.उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना सिंघावली अहीर बागपत।

3.म0का0 प्रियंका थाना सिंघावली अहीर बागपत।